

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,


निवेदन है कि ग्राम डावल जुमाबंदी संख्या 121 के खाता सं. 122 में दर्ज खातेदारान/बादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खाते की खाता सं.	भू प्रबंध खाते की अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
121	कमलाबाई, श्यामतीबाई कुंजी मंगीलाल, जिनमल, नारायण, फुलचन्द, रमेशचं. पुं. मंगीलाल, बाला पुं. धीसा जाति - चमार.	121	कमलाबाई, श्यामतीबाई कुंजी मंगीलाल, जिनमल, नारायण, फुलचन्द, रमेशचं. पुं. मंगीलाल, बाला पुं. धीसा जाति - चमार	कमलाबाई, श्यामती बाई कुंजी मंगीलाल, जिनमल, नारायण, फुलचन्द, रमेशचं. पुं. मंगीलाल, बाला पुं. धीसा जाति - मेढवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण


1. बाला पुं. धीसा जाति - मेढवाल नि. डावल
2. बापुलाल s/o. सोमलाल जाति - मेढवाल नि. रामपुरिया
3. दीपक s/o. रामप्रसाद जाति - मीना नि. साल्डी
4.

हस्ताक्षर





रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम डावल के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


हस्ताक्षर पटवारी
प०म०. डावल
21/07/25

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी  अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


भू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ०
21/07/25

3

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/1177

दिनांक: 21/07/2025

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....डावण..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
रायपुर

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/242

दिनांक: 08/08/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम डावण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार रायपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

रायपुर
08/08/25
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0